कृषि विपणन में सुधार के लिए उपाय

अथवा

कृषि उपज को बेचने की कठिनाइयों को दूर करने के उपाय

कृषि विपणन में सुधार की आवश्यकता पर बल 1928 में शाही कृषि आयोग ने दिया था। इसके बाद 1931 में केन्द्रीय जाँच समिति ने भी कुछ सुझाव दिये थे। कांग्रेस द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय नियोजन समिति ने भी उपयोगी सुझाव दिये थे। हम यहाँ पर कृषि विपणन के दोषों को दूर करने के उपायों की व्याख्या कर रहे हैं और साथ-साथ प्रयत्नों की भी विवेचना करेंगे जो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये हैं :

(1) **नियमित मण्डियों की स्थापना**—कृषकों को विपणन के दोषों से बचाने के लिए सबसे प्रमुख सुझाव नियमित मण्डियों की स्थापना है जहाँ पर किसान अपनी उत्पत्ति को उचित मूल्य पर बेच सके। **नियमित मण्डी से अर्थ उस मण्डी से है जिस पर राज्य सरकार या स्वायत्त शासन सरकार का नियन्त्रण होता है तथा जिसकी कार्यविधि किसी विशेष विधान से नियमित होती है।** यह मण्डियाँ राज्य सरकारों के विशेष विधानों के अन्तर्गत स्थापित होती हैं तथा इन विधानों में वर्णित नियमों के अनुसार इन मण्डियों में कार्य होता है। कभी-कभी इन मण्डियों की स्थापना स्वायत्त सरकार जैसे चुंगी, नगर महापालिका, जिला परिषद्, आदि के द्वारा भी कर दी जाती है या उनके द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत यह मण्डियाँ कार्य करती हैं। इस प्रकार की मण्डियों में एक प्रबन्ध समिति होती है जिसमें किसानों, व्यापारियों, सरकारी प्रतिनिधि व नगरपालिका के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन बहुमत कृषकों का ही होता है। इस प्रकार की मण्डियों में दलाली, आढ़त, तुलाई, कार्य के घण्टे, भुगतान व्यवस्था, आदि निश्चित होते हैं तथा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही दलाल, आढ़तिया व तौला, आदि का कार्य कर सकता है। यहाँ पर किसानों के ठहरने व उत्पत्ति रखने की उचित व्यवस्था होती है।

इस समय देश में 7,418 नियमित मण्डियाँ कार्य कर रही हैं। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का लगभग 4/5 भाग इन बाजारों में बिकने के लिए आता है।

Scanned with CamScanner

(2) **श्रेणी विभाजन एवं प्रमापीकरण**—कृषि वस्तुओं के श्रेणी विभाजन व प्रमापीकरण हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ख्याति बढ़ती है तथा किसान को उचित मूल्य मिल जाता है। बाजार का विस्तार होता है तथा उपज की किस्म में उन्नति होती है। अतः अधिकाधिक कृषि वस्तुओं के लिए प्रमाप स्थापित किये जाने चाहिए। भारत में इस सम्बन्ध में पहला प्रयत्न 1937 में किया गया था, जबकि कृषि उपज (वर्गीकरण एवं चिह्न) अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रमाप स्थापित किये जाते हैं और वर्गीकरण का काम सरकार द्वारा नियुक्त संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिसका समय-समय पर निरीक्षण सरकारी कर्मचारी करते हैं। इस प्रकार वर्गीकृत वस्तुओं पर 'AGMARK' की मुहर लगा दी जाती है। इस सम्बन्ध में प्रगति बहुत धीमी है। अभी तक 181 वस्तुओं के बारे में ग्रेड बनाये गये हैं। नवीन वस्तुओं के वर्ग निर्धारण अथवा पुरानी वस्तुओं के स्तर को सुधारने के लिए नागपुर में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला है। इसके अतिरिक्त 23 और प्रयोगशालाएँ कार्य कर रही हैं। इस समय 1,051 केन्द्रों पर कृषि पदार्थों के वर्गीकरण का कार्य होता है।

(3) **प्रमाणित बाट एवं नाप-तौल**—कृषि विपणन में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि प्रमाणित बाट व नाप-तौल काम में लायी जाए, जिससे कि कृषक के साथ धोखा न किया जा सके।

इस सम्बन्ध में सबसे पहले 1939 में बाटों के प्रमापीकरण के लिए अधिनियम बनाया गया था जिसमें 80 तोले का एक सेर वैधानिक बाट माना गया था। इसके बाद 1956 **में पुरानी प्रणाली को छोड़कर मैट्रिक प्रणाली अपनायी गयी** जिसको 1 **अप्रेल**, 1962 **से अनिवार्य कर दिया गया है।** इस प्रणाली के आने से कुछ सुधार हुआ है। मूल्यों की गणना आसान हुई है। नाप-तौल की गड़बड़ियों में कमी हुई है, लेकिन आज भी पुराने बाट ग्रामीण क्षेत्रों में काम में लाते हुए देखे जा सकते हैं। अतः इन क्षेत्रों में कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(4) **विपणन सूचनाओं का प्रकाशन एवं प्रसारण**—विपणन सूचनाओं का प्रकाशन एवं प्रसारण किया जाना चाहिए जिससे कि कृषक को कृषि पदार्थों के मूल्य व सम्बन्धित बातों की जानकारी हो सके और उसको धोखा न दिया जा सके।

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सराहनीय प्रयत्न किये गये हैं। देहाती कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य मण्डियों के भाव आकाशवाणी से प्रसारित किये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन भावों को सुनने के लिए रेडियो सेट व टेलीविजन ग्राम पंचायतों को मुफ्त दिये गये हैं। अभी हाल ही में अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा का भी गठन किया गया है। भारत के लगभग सभी समाचार-पत्र कृषि सम्बन्धी बातों को अपने-अपने पत्रों में स्थान देते हैं।

(5) **भण्डार-गृहों की सुविधा**—कृषि उपज के उचित विपणन के लिए भण्डार-गृहों की सुविधा बहुत ही आवश्यक है जिससे कि बचत को उचित रूप से सुरक्षित रखा जा सके और कृषि उपज के मूल्यों में स्थायित्व लाया जा सके।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने अपने-अपने प्रयत्न कृषि उत्पत्ति विकास एवं भण्डार निगम अधिनियम, 1956 के पारित होने के बाद ही किये हैं जिसके अनुसार केन्द्र एवं **केन्द्रीय भण्डार निगम** व 16 राज्यों में **राज्य भण्डार निगम** बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम, सहकारी समितियों तथा प्राइवेट संस्थाओं के पास भी भण्डारण क्षमताएँ हैं, लेकिन यह सब मिलकर भी देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं। अतः भारत की अन्न भण्डारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(6) **विपणन अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण**—विपणन में सुधार हेतु विपणन अनुसन्धान एवं सर्वेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि कमियों का पता लग सके तथा उन्हें दूर करने के प्रयत्न किये जा सकें।

भारत में केन्द्रीय सरकार के कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत एक निदेशालय 'विपणन एवं जाँच निदेशालय' है जो कृषि विपणन, कृषि, बागवानी एवं पशुपालन सम्बन्धी बातों के लिए सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान करता है जिसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के नियम बनाती है। इस निदेशालय की कार्य-पद्धति धीमी है। अतः उसमें तेजी लायी जानी चाहिए।

(7) **परिवहन साधनों का विकास**—कृषि पदार्थों के विपणन में सुधार के लिए सड़कों का विकास किया जाना चाहिए तथा सभी गाँवों को शहरी क्षेत्रों से सड़कों के द्वारा जोड़ दिया जाना चाहिए जिससे कि किसान

Scanned with CamScanner

अपनी उत्पत्ति को शहरी मण्डियों में बेचने के लिए प्रोत्साहित हों। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस सम्बन्ध में प्रगति अवश्य ही हुई है, लेकिन वह देश के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए कम है।

(8) **विपणन कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएँ**—कृषि विपणन में बहुत-सी कमियाँ तो कृषि विपणन कर्मचारियों की होती हैं। अतः उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए नागपुर, हैदराबाद व लखनऊ में प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहाँ विपणन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विपणन सचिवों एवं वर्गीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(9) **वित्तीय सुविधाएँ**—कृषि विपणन के सुधार हेतु वित्तीय सुविधाओं के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है जिससे कि कृषक को महाजन व साहूकारों के चंगुल से बचाया जा सके और वह अपनी उपज पहले से निर्धारित मूल्य पर न बेचकर फसल आने पर मण्डियों में बेच सके।

इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार किया गया है तथा जिन स्थानों पर भण्डार-गृह एवं भारतीय स्टेट बैंक हैं वहाँ पर भण्डार-गृह की रसीद पर बैंक से धन उधार देने की व्यवस्था की गयी है, लेकिन इस प्रकार की बैंकों की संख्या बहुत कम है।

(10) **सहकारी विपणन समितियाँ**—विभिन्न प्रकार के मध्यस्थों की संख्या को कम करने एवं मण्डियों की चालों से बचने के लिए कृषकों को अपनी सहकारी समितियाँ बनानी चाहिए जिससे उनको उचित मूल्य मिल सके, वित्तीय सुविधा प्राप्त हो सके, अच्छी खाद्य व उन्नत बीजों की व्यवस्था हो सके तथा सामूहिक मोलभाव का लाभ उठा सकें। वर्तमान समय में 7,001 प्राथमिक सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 160 केन्द्रीय विपणन समितियां, राज्य पर 27 शीर्ष समितियां (Apex Societies) और 25 राज्य सहकारी विपणन संघ तथा एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ कार्यरत हैं।

(11) **मूल्य समर्थन**—काफी समय से सरकार ने मूल्य समर्थन नीति अपना रखी है जिसके अन्तर्गत सरकार फसल उगने से पूर्व ही फसल को क्रय करने के मूल्य घोषित कर देती है और यदि फसल पर बाजार में मूल्य कम हो जाते हैं तो सरकार उस निर्धारित मूल्य पर क्रय करने लगती है। इससे किसानों में प्रेरणा बनी रहती है और वे उत्पादन कार्यों में ढील नहीं देते हैं। सरकार ने यह नीति कुछ ही वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनायी है। अतः सरकार को इस नीति का विस्तार करना चाहिए।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि कृषि विपणन के सुधार हेतु काफी प्रयास किये गये हैं जिनके फलस्वरूप कृषि विपणन में निश्चित ही परिवर्तन आया है। कृषक का दृष्टिकोण भी बदला है। व्यापारी वर्ग भी कुछ सचेत हो गया है जिसके फलस्वरूप कृषि विपणन के दोषों में महत्वपूर्ण कमी हुई है, लेकिन यदि हम इसमें और अधिक सुधार चाहते हैं तो एक ही मूलमन्त्र है कि सहकारी विपणन का विकास द्रुतगामी गति से किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner